भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 591
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वृद्धावस्था पेंशन

591. श्री नीरज मौर्य:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बरेली/आंवला क्षेत्र में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों के माध्यम से जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर विधवा/वृद्धावस्था पेंशन के रूप में किए गए लगभग 1.23 करोड़ रुपये के गबन से संबंधित मामले से अवगत है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में पेंशन योजनाओं के तहत फर्जी लाभार्थियों के मामलों की संख्या कितनी है और उनसे वसूल की गई राशि कितनी है;

(ग) इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए मृत्यु पंजीकरण , आधार सत्यापन, बैंक खाता और पेंशन पोर्टल के पारस्परिक एकीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना के तहत 51 मामलों की पहचान की गई है , जिनमें फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ प्राप्त किया गया था। इन मामलों में , पेंशन के रूप में 18.02 लाख रुपए की राशि संवितरित की गई थी, न कि 1.23 करोड़ रुपए की राशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मामलों में पेंशन रोक दी है और संवितरित पेंशन राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(ख) एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के कार्यान्वयन सहित लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन, पेंशन का संवितरण तथा पेंशन पर रोक एवं वार्षिक सत्यापन, की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पेंशन योजनाओं के तहत फर्जी/डुप्लिकेट लाभार्थियों के मामले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुख्य रूप से आधार आधारित सत्यापन , डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया और आवधिक क्षेत्रीय सत्यापन के माध्यम से पता लगाए जाते हैं और यदि मामले संज्ञान में आते हैं , तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रावधानों के अनुसार पेंशन बंद करने और अतिरिक्त भुगतान की वसूली सहित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, यह मंत्रालय कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों , त्रैमासिक समीक्षा बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों के दौरों के माध्यम से एनएसएपी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा करता है। इसके अलावा , जिला स्तर पर इस योजना की समीक्षा/निगरानी जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों (दिशा) द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) धोखाधड़ी , संसाधनों की चोरी को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन के पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति में संवितरण हेतु संपूर्ण डिजिटल टूल के रूप में एक वेब-आधारित पेंशन भुगतान पोर्टल , एनएसएपी-पीपीएस (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-पेंशन भुगतान प्रणाली) को शुरु किया गया है। एनएसएपी के तहत 90% से अधिक पेंशन संवितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पद्धति के माध्यम से किया जाता है। आधार आधारित पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई है , जिसमें जब भी कोई नया पंजीकरण शुरू किया जाता है , तो लाभार्थी के आधार नंबर का उपयोग करके जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के माध्यम से डेटाबेस का डी-डुप्लीकेशन किया जाता है। वर्तमान में, लगभग 91% लाभार्थियों के आधार नंबर एनएसपीए-पीपीएस पोर्टल में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों के आधार आधारित बायोमिट्रिक सत्यापन के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणन (डीएलसी) मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की गई है।

सरकार, लाभार्थी सत्यापन और एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल के तहत आवधिक पुनः सत्यापन के लिए प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और उन्हें और मजबूत कर रही है , जिसमें आधार आधारित जांच, पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सत्यापन शामिल है। इन उपायों के साथ-साथ नियमित निगरानी/समीक्षा का उद्देश्य ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है।

*****